बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
आदेश

माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा सी0डब्ल्यू0जे0सी0सं0–17830/2024 यमुना राय एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक 27.11.2024 को पारित आदेश के आलोक में यक कार्रवाई प्रारंभ की गई है, जिसका कार्यकरी अंश निम्नवत् है:–

" ..... 4. Learned Advocate for the State referring to the averments made in the counter affidavit has contended that the petitioners have neither approached before any of the authorities, nor they have moved before this Court prior to the cut off date i.e. 26.02.2016, as is required to substantiate their claim for absorption.

5. Be that as it may, considering the nature of the relief sought for, this Court thinks it apt and proper to dispose of the writ petition with a liberty to the petitioners to file a detailed representation before the respondent no. 3, preferably within a period of four weeks from today, along with the documents in support of their claim.

6. In case such a representation is filed, the concerned respondent shall consider and dispose of the same by reasoned and speaking order, within a reasonable period of time.

7.The writ petition stands disposed off.."

माननीय न्यायालय द्वारा पारित उक्त न्यायादेश के अनुपालन में विभागीय पत्रांक 11 दिनांक 03.01.2025 द्वारा सुनवाई की तिथि दिनांक 15.01.2025 को 12.30 बजे अपराह्न में निर्धारित करते हुए याचिकाकर्ताओं को सुनवाई में उपस्थित होकर अपने दावों के समर्थन में अपना पक्ष प्रस्तुत करने करने का निदेश दिया गया। उक्त के आलोक में याचिकाकर्त्ताओं यथा– श्री यमुना राय, श्री जनक शर्मा एवं श्री अमर पासवान द्वारा दस्तावेजों के साथ सुनवाई में निर्धारित तिथि दिनांक 15.01.2025 को उपस्थित हुए तथा अपना पक्ष रखते हुए सरकारी सेवा में समायोजन करने का अनुरोध किया गया।

उल्लेखनीय है कि भूतपूर्व अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों का समायोजन माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा एल0पी0ए0 संख्या 1489/2011 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा एस0एल0पी0 संख्या 32079/2015 में पारित आदेश के आलोक में विभागीय संकल्प संख्या 945 दिनाक 27.04.2017 में उल्लेखित प्रमुख शर्त्तों यथा– (i) संबंधित अनुदेशक द्वारा समायोजन के लिये माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली अथवा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दिनांक 26.02.2016 तक कोई वाद

दायर किया गया हो। (ii) अनौपचारिक शिक्षा योजना के अंतर्गत किसी एक अवधि में लगातार तीन वर्षों तक कार्यरत रहें हो, का अनुपालन सुनिश्चित करने वाले वैसे अनुदेशकों की वास्तविक संख्या एवं पहचान स्थापित करने के लिए जिलास्तर पर कमिटी गठित है। जिलास्तरीय कमिटि से प्राप्त प्रतिवेदन/अनुशंसा के आधार पर अनुदेशकों के समायोजन संबंधित कार्रवाई की जाती है।

उक्त के संबंधित माननीय न्यायालय द्वारा एम0जे0सी0संख्या–809/2012 बिहार राज्य अनौपचारिक सह विशेष शिक्षा अनुदेशक संघ बनाम बिहार राज्य एव अन्य में 23.07.2018, एम0जे0सी0 संख्या 243/2018 शालिग्राम प्रसाद सिंह एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक 22.08.2019, सिविल अपील संख्या–7351/2021 बिहार राज्य एवं अन्य बनाम मीरा कुमारी एवं अन्य में दिनांक 02.12.2021, सी0डब्ल्यू0 जे0सी0 संख्या –8581/2018 विजय कुमार दास एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक 17.11.2022, एम0जे0सी0 संख्या 3628/2019 सुनील कुमार शर्मा एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक 14.12.2022 एवं सिविल रिव्यू संख्या 59/2018 बिहार राज्य एवं अन्य बनाम हरेन्द्र मिश्रा एवं अन्य में दिनांक 05.07.2023 को पारित आदेश में स्पष्ट किया गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित Cut off Date 26.02.2016 के बाद याचिका दायर करने वाले अनुदेशकों को समायोजन का लाभ देय नहीं है।

अतएव सी0डब्ल्यू0जे0सी0सं0–17830/2024 यमुना राय एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य के वाद दायर करने की तिथि 26-Oct-2024 है, जो निर्धारित Cut off Date दिनांक 26.02.2016 के बाद दायर किया गया है। इस प्रकार उक्त वाद के याचिकाकर्त्ताओं को समायोजन का लाभ अनुमान्य नहीं है। तदनुसार माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्ल्यू0जे0सी0सं0–17830/2024 यमुना राय एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक 27.11.2024 को पारित आदेश के अनुपालन में याचिकाकर्त्ताओं यमुना राय एवं अन्य का समायोजन संबंधी दावा को एतद् द्वारा खारिज/अस्वीकृत किया जाता है।

ह0/–

(अनिल कुमार)

निदेशक, जन शिक्षा–सह–अपर सचिव।

ज्ञापांक 13/न्याय–05–162/2024 ....108..../ पटना, दिनांक 30-01-2025

प्रतिलिपिः– जिला शिक्षा पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता), पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी/ सी0डब्ल्यू0जे0सी0सं0–17830/2024 के समस्त याचिकाकर्त्ताओं एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

29/1/25

निदेशक, जन शिक्षा–सह–अपर सचिव।